...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...ख्या : 76/2013

गिर्राज पुत्र श्री मांगीलाल जाति मेहर निवासी वेयर हाऊस के सामने अन्ता रोड सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. लालचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मीना निवासी नवलपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजू पुत्र श्री देवी लाल जाति कलाल निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
3. राधेश्याम पुत्र श्री कालू लाल जाति कुम्हार निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादी : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांकः 09.07.2013 निर्णय दिनांक : 09.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की काश्त शुदा आराजी ग्राम सीसवाली सीसवाली में स्थित है जो वादी तथा उसके परिवार के नाम शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में हाल जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 में दर्ज है। जिसके हाल खसरा नं0 1803 रकबा 0.05, खसरा नं0 1804 की रकबा 1.16 है0 तथा खसरा नं0 1805 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 खाता संख्या 1048 में बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमियों के नक्शा ट्रेस मे 1804 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर 1803 तथा पूर्वी कोने पर 1805 नक्शा ट्रेस में सडक के किनारे अंता सीसवाली रोड पर स्थित है। प्रतिवादी कम संख्या 1 व 2 राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो जबरन अपने प्रभाव का इस्तमाल करते हुए वादी की काश्त शुदा आराजी खसरा नम्बर 1803 पर दिनांक 05.07.2013 को कब्जा कर पत्थर डालने की नियत से ट्रेक्टर ट्रोली लेकर आ गये। वादी ने पत्थर डालने से मना किया तो प्रतिवादीगण गाली गलौच कर मारपीट पर आमादा हो गये तथा अपनी राजनैतिक पहुच का दुरूपयोग कर 107, 116 में बन्द करवा दिया। तथा मेरी पत्नि गीताबाई के साथा भी अभद्र व्यवहार किया। प्रतिवादी कम नं0 4 ने गैरकानूनी रूप से खसरा नम्बर 1804 रकबा 0.16 है0 पर जबरन ईट का भट्टा लगाकर वादी के उपयोग व उपभोग में दखल अंदाजी करता रहता है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी की काश्त शुदा आराजी खसरा नं0 1803 रकबा 0.05 है0 पर जबरन कब्जा कर पत्थर वगैरह नही डाले तथा अवैधानिक तरिके से निर्माण नही करें। तथा प्रतिवादी कम नं0 4 को खसरा

0.16 है0 पर जबरन जो ईट भट्टा लगाया है उसे हटाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कि वह उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से अवैधानिक कब्जा कर व्यवसाय करने की कोशिश करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें तथा ईट भट्टा हटाया जाने कि डिक्री फरमाई जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 09.07.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। बावजूद सूचना के प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 अनुपस्थित रहने से तीनो को एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 1 लालचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी नवलपुरा तहसील मांगरोल की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गावल ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गालव ने प्रतिवादी कम 1 की ओर से दिनांक 28.05.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा में प्रतिवादी कम 1 ने अंकन किया कि:–

1. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी खसरा नं0 1803, 1804 व 1805 राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना स्वीकार है।
2. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है शेष विवरण विशेष आपत्तियो में दर्ज है।
3. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 3 असत्य व मन गढंत होने से अस्वीकार है शेष विवरण विशेष आपत्तियो में दर्ज है।
4. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 असत्य व झूंठी होने से अस्वीकार है तथा प्रतिवादी कम 1 के लिए मानहानिकर है। शेष विवरण विशेष आपत्तियो में दर्ज है।
5. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5 प्रतिवादी कम 1 से संबंधित नही होने से अस्वीकार है।
6. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रतिवादी कम 1 ने वादी के खाते की एक इन्च भूमि पर भी अतिक्रमण नही कर रखा है। वादी अपने खाते की भूमि की आढ में प्रतिवादी कम 1 के निजी खरीद शुदा भूखण्ड को भी अपनी भूमि बताने पर आमादा है।
7. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
8. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 8 व 9 कानूनी है।

प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गावल ने अपने जवाब दावा में विशेष आपत्तियों का अंकन निम्नानुसार किया कि:–

कि वादी द्वारा झुठां व मनघढंत तथ्यो पर वाद प्रस्तुत किया है।, वादी अपने खाते की राजी की आढ में जबरन प्रतिवादी नं0 1 के निजी खरीदशुदा भूखण्ड पर स्थगन प्राप्त करना चाहता है। प्रतिवादी नं0 1 का एक 21X60 वर्ग फिट का भूखण्ड ग्राम सीसवाली में स्थित है। जो वादी की आराजी खसरा नं0 1803, 1804 व 1805 के बाहर स्थित है। तथा वादी की आराजी से प्रतिवादी नं0 1 के भूखण्ड का कोई वास्ता नही है।

02. यह है कि प्रतिवादी नं0 1 मान प्रतिष्ठा वाला एक इज्जतदार व्यक्ति है, तथा भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य रहा है, तथा वादी अतिक्रमी किस्म का व्यक्ति है, तथा अपने खाते की आढ में आस पास स्थित आबादी की भूमि पर भी अतिक्रमरण करना चाहता है।

प्रतिवादी क्रम 5 सरकार जर्ये तहसीलदार भी अनुपस्थित रहने से एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 1 की दिनांक 09.04.2018 को बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन व प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गालव ने अपनी–अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जिस उन्होने क्रमशः अपने दावा व जवाब दावा में अंकन किया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस पर मनन करने के बाद वाद वादी स्वीकार किया जाता है चुकि प्रतिवादी क्रम 1 ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 का भू–खण्ड वादी की आराजी खसरा नं0 1803, 1804 व 1805 के बाहर स्थित है एवं प्रतिवादी क्रम 1 वादी की खाते की आराजी में कोई दखलअंदाजी नही करता है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सीसवाली में स्थित खसरा नं0 1803 रकबा 0.05, खसरा नं0 1804 की रकबा 1.16 है0 तथा खसरा नं0 1805 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 में दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।